

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2555]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2013/कार्तिक 15, 1935

No. 2555]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2013/KARTIKA 15, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2013

(आयकर)

का.आ. 3393(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 'भारतीय तीरंदाजी संघ (आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया)', नई दिल्ली को कर-निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एक संघ के रूप में विनिर्दिष्ट करती है बशर्ते कि उक्त नियम 18ककककक में निर्दिष्ट शर्तें पूरी रहें।

[अधिसूचना संख्या 88/2013/फा.सं. 176/03/2013-आ.क.नि.- I]

दीपशिखा शर्मा, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2013

(INCOME-TAX)

S.O. 3393(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies ‘Archery Association of India’, New Delhi as an association for the purposes of said clause for the assessment years 2013-14, 2014-15 and 2015-16 provided that the conditions specified in said rule 18AAAAA shall remain fulfilled.

[Notification No. 88/2013/F. No. 176/03/2013-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Dy. Secy.